

विश्राम कक्ष)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जनपद शामली।

आदेश संख्या-38

दिनांक 16-12-2023

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो जाने के कारण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के उपरांत जनपद शामली के न्याय प्रशासन के सुचारु रूप से संचालन हेतु सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों से धारा 138 एन०आई० एक्ट के सम्बंध में आख्या प्राप्त हुई। आख्यानुसार धारा 138 एन०आई० के सम्बंध में पूर्व की व्यवस्थाओं को संशोधित करते हुए कार्य वितरण की निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है-

- 1- न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली में लंबित धारा 138 एन०आई०एक्ट से संबंधित कुल वाद 294, जिसकी सूची संलग्न है। जिसमें से क्रमांक सं० 251-294 तक की कुल 54 पत्रावलियों, को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना में सुनवाई का क्षेत्राधिकार निहित किया जाता है।
- 2- न्यायालय सिविल जज सी०डि०, कैराना में लंबित धारा 138 एन०आई०एक्ट से संबंधित कुल वाद 401, जिसकी सूची संलग्न है। जिसमें से क्रमांक सं० 252-401 तक की कुल 150 पत्रावलियों, को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना में सुनवाई का क्षेत्राधिकार निहित किया जाता है।
- 3- न्यायालय सिविल जज जू०डि०/एफ०टी०सी०, शामली में लंबित धारा 138 एन०आई०एक्ट से संबंधित कुल वाद 377, जिसकी सूची संलग्न है। जिसमें से क्रमांक सं० 278-377 तक की कुल 100 पत्रावलियों, को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना में सुनवाई का क्षेत्राधिकार निहित किया जाता है।

इस प्रकार प्रत्येक न्यायालयों में 138 एन०आई० एक्ट से संबंधित न्यायालयों में निम्न पत्रावलियाँ लंबित रहेंगी-

- 1- न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली में कुल 250 पत्रावलियाँ।
- 2- न्यायालय सिविल जज सी०डि०, शामली में कुल 222 पत्रावलियाँ।
- 3- न्यायालय सिविल जज सी०डि०, कैराना में कुल 201 पत्रावलियाँ।
- 4- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना में कुल 304 पत्रावलियाँ।
- 5- न्यायालय सिविल जज जू०डि०, शामली में कुल 275 पत्रावलियाँ।
- 6- न्यायालय सिविल जज जू०डि०, (एफ०टी०सी०), शामली में कुल 277 पत्रावलियाँ।
- 7- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली में कुल 119 पत्रावलियाँ।

उपरोक्त आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के अनुमोदन के उपरांत प्रभावी होगा।

sd/-  
(प्रतिभा )  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जनपद शामली।

प्रतिलिपि-

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अनुमोदन हेतु।
- 2- बार एसोसिएशन, शामली स्थित कैराना।
- 3- सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
- 4- वाद लिपिक सी.जे.एम., शामली को।